UPMZ040229172022

न्यायालय C.J.M., Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Manoj Kumar Jatav) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा –** UP01821

Bail Application/5690/2022

State of U.P. Vs. Naresh

11–10–2022

अभियुक्त नरेश पुत्र जयपाल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र वाद संख्या 6532/9 सन् 2018 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना खतौली पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना उपलब्ध प्रपत्रो का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त पूर्व सजायाफता नहीं है। अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार है जमानत की प्रार्थना की गयी।

अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

अभियुक्त को बिना जमानती वारन्ट पर गिरफतार करके न्यायालय में पेश किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। पत्रावली पर अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए आधार जमानत पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जायें।

मनोज कुमार जाटव
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुजफ्फरनगर।